न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 62 / 2025	2025 / 270	13.05.2025	08.04.2026

1– शारदा देवी पत्नी स्व0 बृजकिशोर जाति ब्राहम्मण निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2– राकेश सैनी पुत्र स्व0 रामचरण,
3– रवि सैनी पुत्र स्व0 रामचरण जाति माली निवासी गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
असल रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 03.03.2024 नामान्तकरण संख्या 903 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

उपस्थित–
01. श्री दिनेश कुमार सैनी –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 903 निर्णय दिनांक 03.03.2024 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 104 रकबा 0.1600 है0, 110 रकबा 0.9100 है0, 122 रकबा 0.6300 है0, 124 रकबा 0.5200 है0, 89 रकबा 0.6800 है0, किता 5 रकबा 2.9000 है0 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास में स्थित है। आराजी में अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी अपीलान्ट को स्वर्गीय पति बृजकिशोर पुत्र जगन्नाथ से विरासत इन्तकाल संख्या 824 दिनाक 03.01.2019 से प्राप्तशुदा आराजी है, जिस पर अपीलान्ट अपने हक–हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। अपीलान्ट मृतक पति की पेशंन प्राप्त कर रही है, जिसका जीवित प्रमाण–पत्र बना हुआ है। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 की माता शारदा देवी पत्नी रामचरण जाति माली निवासी गंज का देहान्त दिनाक 08.01.2022 को हो गया जिस पर रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने अपनी माताजी शारदा देवी पत्नी रामचरण के हक–हिस्से की आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष आवेदन किया जिसके साथ रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के द्वारा वारिसान के नाम बाबत वार्ड पार्षद का प्रमाण–पत्र पेश किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 1 की माता का एक ही नाम शारदा देवी दर्ज होने के कारण अपीलान्टान के हक–हिस्से की आराजी का नामान्तकरण संख्या 903 दिनाक 03.03.2024 दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नाम की सही जानकारी किये बिना ही अपीलान्ट के हक–हिस्से की आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट पटवारी हल्का के पास किसान केडिट

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

कार्ड बनवाने के लिए दिनाक 07.03.2025 को गयी तो उक्त गलत अंकन का ज्ञान हुआ जिस पर अपीलान्ट के पुत्र योगेश कुमार वशिष्ठ द्वारा अपने पुराने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 लगायत 2075 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनाक 18.03.2025 को प्राप्त हुयी जिस पर मिन अपीलान्ट के पुत्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनाक 25.03.2025 को लिखकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पेश किया जिसमें दिनाक 07.04.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा हल्का पटवारी को जॉच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु निदेर्शित किया जिस पर अपीलान्ट का पुत्र पटवारी हल्का के पास गया तो हल्का पटवारी ने नामान्तकरण दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया जिस पर नामान्तकरण की नकल प्राप्त की गयी। जिस पर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है, अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार ग्रहण की जाकर अपील स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट कों जरिर्ये रजिस्ट्रड नोटिस तलब किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुआ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 903 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास दिनाक 03.03.2024 के विरूद्व दिनाक 30.04.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 1 वर्ष एक माह पश्चात अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 03.03.2024 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 07.03.2025 को होना अंक़ित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 104 रकबा 0.1600 है0, 110 रकबा 0.9100 है0, 122 रकबा 0.6300 है0, 124 रकबा 0.5200 है0, 89 रकबा 0.6800 है0, किता 5 रकबा 2.9000 है0 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास में स्थित है। आराजी में अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। आराजी अपीलान्ट को स्वर्गीय पति बृजकिशोर पुत्र जगन्नाथ से विरासत इन्तकाल संख्या 824 दिनाक 03.01.2019 से प्राप्तशुदा आराजी है, जिस पर अपीलान्ट अपने हक–हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। अपीलान्ट मृतक पति की पेशंन प्राप्त कर रही है, जिसका जीवित प्रमाण–पत्र बना हुआ है। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 की माता शारदा देवी पत्नी रामचरण जाति माली निवासी गंज का देहान्त दिनाक 08.01.2022 को हो गया जिस पर रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने अपनी माताजी शारदा देवी पत्नी रामचरण के हक–हिस्से की आराजी का विरासत का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष आवेदन किया जिसके साथ रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के द्वारा वारिसान के नाम बाबत वार्ड पार्षद का प्रमाण–पत्र पेश किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 1 की माता का एक ही नाम शारदा देवी दर्ज होने के कारण अपीलान्टान के हक–हिस्से की आराजी का नामान्तकरण संख्या 903 दिनाक 03.03.2024 दर्ज कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा नाम की सही जानकारी किये बिना ही अपीलान्ट के हक–हिस्से की आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया नामान्तकरण संख्या 903 दिनाक 03.03.2024 में वर्णित आराजी खसरा न0 104 रकबा 0.1600 है0, 110 रकबा 0.9100 है0, 122 रकबा 0.6300 है0, 124 रकबा 0.5200 है0, 89 रकबा 0.6800 है0, किता 5 रकबा 2.9000 है0 वाके ग्राम गंज तहसील किशनगढबास खातेदार शारदा देवी पत्नी बृजकिशोर हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्मण साकिन देह के नाम दर्ज है, किन्तु आराजी सहवन से रेस्पोडेन्टान

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दिया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 903 वाके ग्राम गंज निर्णय दिनाक 03.03.2024 निरस्त किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत का प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जॉच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)